न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 52/2016 — तारीख रजू:– 03.10.2016

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

1.	भगवानसिंह	पिसरान बत्तू जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर
2.	देवीसिंह	
3.	मुकेश	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4.	दिनेश	
5.	बीरसिंह	——————————— सायलान

बनाम

1.	धर्मेन्द्र पुत्र प्रभू	जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर
2.	सत्तो पुत्र प्रभू	तहसील हिण्डौन जिला करौली
3.	रामदयाल पुत्र सुरजी	——————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र कायमी रिसीवर

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री संजय शर्मा एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय — दिनांक :– 6-5-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान द्वारा दिनांक 03.10.2011 को इस अदालत में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.32 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे गैरसायलान का या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by An
Date: 2022.06.23 11:
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सायलान ने अपना खेत खसरा नम्बर 544 में वर्षात आदि से बचाव बाबत् दो गैह पाटौर का निर्माण भी करवाया हुआ है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 544 का उपयोग उपभोग सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बजमाने बुजुर्गान से बिना किसी परेशानी के बतौर खातेदार टीनेन्ट करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 03.08.2016 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायलान ने अपने खेत पर खडी फसल की देखभाल करने गये थे कि अप्रार्थीगण गैरसायलान मय हमराहीयान हाथों में लाठी, डंडे ले लेकर आ गये और आते ही फोस गालियॉ देने लगे। झगडा फिसाद करने लगे और कहा कि या तो राजीबाजी खेत में हमें आबादी करने दे दो अन्यथा हम तुम्हें खेत पर नहीं आने देंगे और फसल नहीं ले जाने देंगे और यहॉ पर आबादी करके रहेंगे। सायलान द्वारा अदालत के स्थगन आदेश का हवाला दिया तो स्पष्ट तौर पर कहा कि स्टे हमने बहुत देखें हैं। मुकदमा वापिस ले लो नही तो जान से जाओगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण जनबल व धनबल के आधार पर जबरन सायलान की जमीन को हडपने पर आमादा हैं। स्थगन आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए अगर गैरसायलान अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जमीन की स्थिति बेस्ट डेमेज व अलीयनेट की व मीडियो की हो चुकी है। किसी भी समय झगडा होकर जनहानि होने का अन्देशा बना हुआ है। इसलिए अपने हकूकों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि जमीन पर कब्जा काश्त सायलान है। खातेदारी सायलान की है। इसलिए जमीन को कब्जे राज में लेने पर अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है, जबकि आदेश विथ होल्ड फरमाये जाने की स्थिति में सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की सम्भावना बन गयी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर स्वीकार फरमाकर आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.32 है0 स्थित ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन को सायलान के कब्जे से कब्जेराज में लेकर तहसीलदार हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त फरमाया जावे। उन्हें आय–व्यय का लेखा जोखा रखने, फसल काश्त करवाने एव साल संभाल की समुचित व्यवस्था करवाने बाबत् निर्देशित फरमाया जावे तथा समय समय पर अदालत हाजा को अवगत करवाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 बाद तामील उपस्थित आया व जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में वर्णित किया कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध झूंठे तथ्यों का दावा तथा दरख्वास्त अ.नि. अदालत में दायर किया है। जिसमें सायलान सफल नहीं हो सकते हैं। सायलान ने गैरसायलान के अकब में दिनांक 23.05.2012 तक रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द किया था। आगे कोई स्थगन आदेश नहीं बढाया गया है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Ano
Date: 2022.06.23 11:3
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है। स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि नहीं है। सही स्थित यह है कि उक्त भूमि का साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा है। साबिक खसरा नम्बर 275 को साबिक खातेदार गिर्राज पुत्र सौनपाल जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर ने सम्बत् 2008 व इसके आस पास गैरसायलान के पूर्वज खिलौना पुत्र सांवलिया जाट निवासी महूखास के यहॉ गिरवी रख कर कब्जा करा दिया। यह तथ्य खसरा गिरदावरी सम्बत् 2008 से साबित है। यही इन्द्राजात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अलम में आने से पूर्व सम्बत् 2012 की खसरा गिरदावरी सम्बत् 2012 से 2031 तक के इन्द्राजात से साबित है। सम्बत् 2032 में जरिये नामान्तकरण सं0 215 मुर्तहिन के बजाय राहिन के हक में अन्तर्गत धारा 43(4) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार रहन मुर्तहिन के इन्द्राजात हटाकर खातेदार के हक में खातेदारी हो गयी लेकिन कब्जा मुर्तहिन यानि गैरसायलान के पूर्वज सुरजी का बदस्तूर रहा। गैरसायलान के पूर्वज सुरजी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है। सुरजी के दो लडके प्रभू, रामदयाल (गैर0नं03), तथा प्रभू के दो लडके धर्मेन्द्र (गैर0नं01) व सत्तो (गैर0नं02) हैं। इस प्रकार विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 275 हाल खसरा नम्बर 544 पर पूर्व से ही गैरसायलान व उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। लोंग टर्म पजेशन व कब्जा मुखालफाना के आधार पर विवादित भूमि पर गैरसायलान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत सायलान व उसके पिता गिर्राज के खातेदारी इन्द्राज समाप्त हो चुके हैं। प्रारम्भ से ही विवादित भूमि में गैरसायलान की 5 गैह पाटौर पोश मकानीयत स्थित है। जिसमें गैरसायल सं01 धर्मेन्द्र सपरिवार रिहायश करता चला आ रहा है। विवादित भूमि को सायलान व उसके बुजुर्ग गिर्राज प्रसाद ने कभी भी काश्त नहीं किया। इस समय भी सायलान ने खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर से लोन लेकर साधारण रहन रखा है। जबकि कब्जा गैरसायलान का बदस्तूर चला आ रहा है। इसलिए कब्जा काश्त के अभाव में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है। इसी कानूनी बिन्दू के कारण सायलान ने दावा हाजा में बैंक ऑफ बडौदा को पक्षकार नहीं बनाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित भूमि में [illegible] की दो गैह पाटौर नहीं है। बल्कि गैरसायल सं01 की 5 गैह पाटौर [illegible] है जिनमें गैरसायल सं01 सपरिवार रिहायश कर रहा है। विवादित भूमि पर [illegible] का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र [illegible] मद नं04 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित भूमि पर सायलान का कब्जा ही नहीं है तो दिनांक 03.08.2016 को गैरसायलान द्वारा सायलान को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.23 11:30:3
Reason: SelfAttested

कोई धमकी किसी प्रकार की देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दिनांक 03.08.016 को गैरसायलान ने सायलान के साथ कोई झगडा फसाद नहीं किया ना ही गाली गलौंच की। गैरसायलान ने अदालत के स्थगन आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया। इसलिए प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज समस्त तथ्य झूंठे तथा मनगढंन्त हैं। सायलान , गैरसायलान के विवादित भूमि पर कब्जे से बेदखल कराने के लिए रिसीवर नियुक्त कराना चाहते हैं। जो अवैधानिक है। विवादित भूमि पर कोई झगडा फसाद या जनहानि होने का अंदेशा नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 के तथ्य कतई गलत हैं। विवादित भूमि पर सायलान की कब्जे काश्त नहीं है। बल्कि मद नं02 जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर गैरसायलान की कब्जे काश्त है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि पर सायलान का कब्जा नहीं है। बल्कि जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 के तथ्यों के आधार पर कब्जा गैरसायलान का है। इसलिए कब्जा के अभाव में सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र की दादरसी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सायलान तो अपनी ससुराल में रहते हैं। विवादित भूमि को सायलान ने देखा तक नहीं है। विवादित भूमि को जानते नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र हाजा में बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070 – 73 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2008–11, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2012–15, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2016–19, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2020–23,फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2024–27, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2028–31, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2032–35, पेश किये हैं।

~~प्रार्थना पत्र~~ वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और साय... है। ... विपरीत वकील ... प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। ... गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और ... का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उप... रिकार्ड का अवलोकन किया । वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी

Signature Not Ve...
Digitally signed by An...
Date: 2022.06.23 11:...
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070 –73 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.30 है0, 75/920 रकबा 0.04 है0, 495 रकबा 0.07 है0, 496 रकबा 0.09 है0, 497 रकबा 0.11 है0, 506 रकबा 0.13 है0, 544 रकबा 0.32 है0, 561 रकबा 0.03 है0, 566 रकबा 0.35 है0, 567 रकबा 0.33 है0, 569 रकबा 0.30 है0, 572 रकबा 0.27 है0, 686 रकबा 0.39 है0, 686/962 रकबा 0.05 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.78 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह देवीसिंह मुकेश दिनेश वीरसिंह पि0 बत्तू जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2008–11 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा काश्त के कॉलम में जीवन बल्द चिम्मन, सुरजी, रामखिलाडी जाट का नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2012–15 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा काश्त के कॉलम में जीवन वल्द चिम्मन, सुरजी, रामखिलाडी जाट का नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2016–19 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा काश्त का कॉलम अपठनीय है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2020–23 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा चारों वर्ष में फसल काश्त की गई है।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ar
Date: 2022.06.23 11:
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2024–27 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा चारों वर्ष में फसल काश्त की गई है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2028–31 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा चारों वर्ष में फसल काश्त की गई है तथा सम्बत् 2030–21 में सुरजी वगै0 के द्वारा काश्त की गई है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2032–35 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम महू इब्राहिमपुर की खातेदारी के कॉलम में गिर्राज वल्द सोनपाल जाट राहिन खिलौना वल्द सांवलिया जाट मुर्तहिन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा चारों वर्ष में फसल काश्त की गई है तथा सम्बत् 2032 में नोट नामान्तकरण सं. 212 मुर्तहिन के बजाय राहिन के नाम मंजूर है तथा आदेश मुताविक मिसल रजिस्टर्ड दिनांक 28.08.1976 सुरजीराम पुत्र चिम्मन खरीफ काश्त तथा सम्बत् 2033 में बदस्तूर काश्त दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035– 38 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी सरवती धर्मकौर पुत्री गिर्राज जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 544 रकबा 0.32 है0 ग्राम महूइब्राहिमपुर कायम किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 544 रकबा 0.32 है0 ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन पर सम्बत् 2008 से लगातार गैरसायलान के पूर्वज सुरजी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा सुरजी के फौत होने के बाद उक्त आराजीयात पर गैरसायलान का कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सम्बत् 2008 से गैरसायलान के पूर्वज खिलौना बल्द सांवलिया जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर के यहाँ रहन रखी हुई थी तथा सम्बत् 2032 में रहन मुर्तहिन के इन्द्राज समाप्त कर दिये गये तथा खातेदारी राहिन के नाम रखने के आदेश दिये गये किन्तु सम्बत् 2032 व 33 में काश्त गैरसायलान के पूर्वज सुरजी के द्वारा किया जाना खसरा गिरदावरी के अवलोकन से साबित है। खातेदार गिर्राज के फौत होने पर उक्त आराजी की खातेदारी सरवती धर्मकौर पुत्री गिर्राज जाति जाट के नाम दर्ज हुई है। किन्तु वर्तमान रैंजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 544 रकबा 0.32 है0 ग्राम महूइब्राहिमपुर की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर आपसी विवाद है तथा पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर और विवाद नहीं बढे ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2022.06.23
Reason: SelfAttes

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विवादित आराजीयात को कब्जेराज लिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्ति रिसीवर विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन को कब्जेराज लेने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात को कब्जेराज लेकर नियमानुसार प्रतिवर्ष काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 6-5-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.23 11:30:34
Reason: SelfAttested